

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

1- अपील संख्या 141/2015

तुलछी पुत्री पूर्णराम पुत्र पन्नाराम पत्नी मोतीराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा
बीका तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र पेमाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र हुक्माराम
3. धीरुराम पुत्र हुक्माराम
4. शंकरलाल पुत्र हुक्माराम
5. रामप्यारी पत्नी हुक्माराम
6. दुलीचन्द पुत्र हनुमान
7. भागीरथ पुत्र पेमाराम
8. उप पंजीयक सूरतगढ।
9. शाखा प्रबन्धक एम.जे.एम. ग्रामीण बैंक शाखा ढाबां तहसील सूरतगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—रेस्पॉन्डेन्ट्स

2- अपील संख्या 142/2015

धन्नी पुत्री पूर्णराम पुत्र पन्नाराम पत्नी प्रहलाद जाति मेघवाल निवासी भोमपुरा
तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलांट

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र पेमाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र हुक्माराम
3. धीरुराम पुत्र हुक्माराम
4. शंकरलाल पुत्र हुक्माराम
5. रामप्यारी पत्नी हुक्माराम
6. दुलीचन्द पुत्र हनुमान
7. भागीरथ पुत्र पेमाराम
8. उप पंजीयक सूरतगढ।



14/11/15
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

9. शाखा प्रबन्धक एम.जे.एम. ग्रामीण बैंक शाखा ढाबां तहसील सूरतगढ ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ ।
11. बाधु पुत्री पूर्णराम पुत्र पन्नाराम पत्नी किशोरीराम जाति मेघवाल निवासी
पन्नीवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पॉन्डेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज. का.अधि. 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 23.10.2015

उपस्थिति:-

श्री भागीरथ बिश्नोई , अभिभाषक अपीलांत
श्री राकेश मनचन्दा , अभिभाषक रेस्पों.
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :- 14.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया/अपीलार्थी तुलछी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 53, 188, 207, 209 के तहत उदा के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर चक 8 डीबीएन हाल चक 6 डीबीएन के प.न. 53/281 के कि.न. 1 से 10, 12 से 19, 22 से 25 की 21.16 बीघा , प.न. 50/281 के कि.न. 1 से 3, 8 से 13, 17 से 24 की 16.14 बीघा कुल 9.741 है0 भूमि अपने पिता की खातेदारी होने से वादिया सहित उसकी चारों पुत्रियों को खातेदार घोषित करने, बंटवारा करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया ।

इसी प्रकार वादिया/अपीलार्थी धन्नी आदि ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 88, 53, 188, 207, 209 के तहत उदा के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर चक 8 डीबीएन हाल चक 6 डीबीएन के प.न. 53/281 के कि.न. 1 से 10, 12 से 19, 22 से 25 की 21.16 बीघा, प.न. 50/281 के कि.न. 1 से 3, 8 से 13, 17 से 24 की 16.14 बीघा कुल 9.741 है0 भूमि अपने पिता की खातेदारी होने से वादिया सहित उसकी चारों पुत्रियों को खातेदार घोषित करने, बंटवारा करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया ।

वाद पेश होने पर दोनों ही वादों में प्रतिवादीगण ने जब्त दावा पेश किये एवं वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

(Signature)
14/11/17
राजस्थान अदालत प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



अधी. न्यायालय द्वारा दोनों वादों को इकजाई करते हुए दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अनुतोष सहित 13 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दोनों ही वाद दिनांक 23.11.2015 को खारिज कर दिये, जिनके विरुद्ध उक्त दोनों ही अपीलें पेश हुई है। दोनों अपीलों में उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण द्वारा अधी. न्यायालय में अपने वाद को साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित किया था अधी.न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय गलत किया है। पिता की भूमि में पुत्रियों का हक बनता है फिर भी अधी.न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व विवादित भूमि में पुत्रियों का हिस्सा नहीं था। विवादित भूमि रेस्पो. ने जरिये पंजीकृत बैयानाम से कय की है एवं कब्जा काश्त रेस्पो. को चला आ रहा है। बैयानामा को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया है। वादीगण ने अपने वाद को साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित नहीं किया है। अधी.न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वाद खारिज किये है। अपील में भी अपीलांट ने ऐसा कोई नया तथ्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर अपील स्वीकार की जा सके। अतः निवेदन है कि दोनों अपीलें खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 23.10.2015 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट के पूर्वज पूर्णराम की आराजी पर बहैसियत वारिस घोषणात्मक दावे का अनुतोष चाहा जो अधी.न्यायालय ने इस




15/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्री गंगानगर (राज.)

आधार पर दावा खारिज किया कि विवादित आराजी अपीलांट के पिता पूर्णराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादीगण/रेस्पो. को बेचान कर दी थी। अतः दावा खारिज किया है जो अधी.न्यायालय द्वारा दावा में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों की सही व्याख्या नहीं कर दावा खारिज किया है जो निरस्त करने का अनुतोष चाहा।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाव दावा के आधार पर 12 तनकियात कायम की जिसमें से तनकी सं. 1 से 5 वादिया द्वारा साबित की जानी थी जो वादिया सिद्ध करने में असफल रहने से तनकियात का विनिश्चय वादिया के विरुद्ध किया गया है तथा तनकी सं. 6 से 12 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था जो सभी बहक प्रतिवादीगण के पक्ष में विवेचित होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होकर सभी 12 तनकियात विनिश्चय के आधार पर दावा खारिज किया जाकर निर्णित किया है।

अपील का सार यह है कि विवादित आराजी रेस्पो. द्वारा भूमि कय कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार काशतशकार है जो अधी.न्यायालय की तनकी सं. 9 के विनिश्चय का निष्कर्ष है, का अपील मीमों में कोई Specific denial नहीं है तथा इस तनकी के बारे में अपील मीमों में सिर्फ यह लिखना कि तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण/रेस्पो. के पक्षा में निर्णय कर भारी भूल की है। क्या भूल की है, किस तथ्य व विधि की व्याख्या में त्रुटि रही, अपीलांट स्पष्ट करने में असफल रहें हैं। अतः अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से रेस्पो. के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचान दस्तावेज व वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो. का खातेदार काशतकार प्रमाणित होने से अपील खारिज योग्य है। अतः दोनों अपीलें खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर



डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,
तुलछी पुत्री पूर्णराम पुत्र पन्नाराम पत्नी मोतीराम जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा बीका
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र पेमाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र हुक्माराम
3. धीरुराम पुत्र हुक्माराम
4. शंकरलाल पुत्र हुक्माराम
5. रामप्यारी पत्नी हुक्माराम
6. दुलीचन्द पुत्र हनुमान
7. भागीरथ पुत्र पेमाराम
8. उप पंजीयक सूरतगढ।

जाति मेघवाल निवासीगण 8 डी.बी.एन. तहसील
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

9. शाखा प्रबन्धक एम.जे.एम. ग्रामीण बैंक शाखा ढाबां तहसील सूरतगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—रेस्पोंडेन्ट्स


अपील संख्या 141/2015 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरतगढ
मुकर्व 23 माह 10 सन् 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 14 माह 11 सन् 2017 रुबरु मुझ हाजरी श्री भागीरथ बिश्नोई
अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री श्याम
सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील
अपीलांट खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2015 यथावत रखा
जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिंग .. X) रूपये.. X अदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.11.2017 जारी किया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर